2008:CGHC : 9144 DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित
Misc. Appeal No. 366 of 2003

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड पीठ

कोरम : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश, एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

विविध अपील क्रमांक 366/2003

अपीलार्थीगण:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. शिव कुमार बंजारे, पिता श्री सोनू राम बंजारे, उम्र लगभग 40 वर्ष
2. श्रीमती प्रेमिन बाई बंजारे, पति श्री शिव कुमार बंजारे, उम्र लगभग 35 वर्ष
3. कु. देविका बाई बंजारे, पिता श्री शिव कुमार बंजारे, उम्र लगभग 15 वर्ष
4. कु. दसोदा बंजारे, पिता श्री शिव कुमार बंजारे, उम्र लगभग 13 वर्ष
5. कु. सहोद्रा बंजारे, पिता श्री शिव कुमार बंजारे, उम्र लगभग 11 वर्ष
6. कु. ओमकुमारी बंजारे, पिता श्री शिव कुमार बंजारे, उम्र लगभग 9 वर्ष

   (अपीलार्थी क्रमांक 3 से 6 द्वारा संरक्षक – अपीलार्थी क्रमांक 1 "पिता")

   सभी जाति सतनामी और निवासी ग्राम व तहसील – अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

उतरवादीगण:

1. मोहम्मद एजाज खान उर्फ़ पिंटू, पिता श्री मोहम्मद ताज खान, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय – चालक, निवासी अश्वनी नगर, रायपुर, जिला रायपुर
2. श्रीमती अंजु शर्मा, पति श्री बृजेश शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी आजाद चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3. शाखा प्रबंधक, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शहरी शाखा क्रमांक 2, मदीना बिल्डिंग, जेल रोड, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

<u>मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अन्तर्गत अपील का ज्ञापन</u>

पक्षों की ओर से उपस्थित: अपीलार्थीगण की ओर से श्री आर.एस. पटेल, विद्वान अधिवक्ता।

उतरवादी क्रमांक 1 और 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

उतरवादी क्रमांक 3 की ओर से श्री श्री कुमार अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री आनंद गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(11 **फ़रवरी**, 2008)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **राजीव गुप्ता**, **मुख्य न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया**:**

1. यह दावेदारों की अपील मोटरयान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कह कर संबोधित किया जाएगा) की धारा 173 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 224/2002 में दिनाँक 16.01.2003 को पारित अधिनिर्णय में दिए गए मुआवजे की राशि की वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. दावेदारगण, जो कि मृतक आशाराम के दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता और छोटी बहनें हैं, ने अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर करके ₹10,35,000/- के मुआवजे का दावा किया, जो दिनाँक 12.08.2001 को हुई मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए था जब वह जीप, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP-23L/8728 था, में यात्रा कर रहा था और उसे दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन ट्रैक्स, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP-24-0-0818 था, ने टक्कर मार दी थी, जिसके परिणामस्वरूप आशाराम की मौके पर ही तत्काल मृत्यु हो गई थी। दावेदारों ने आगे यह भी अभिवचन किया कि मृतक आशाराम, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, बढ़ई के रूप में प्रतिदिन ₹100–125/- कमाता था।

3. मालिक, चालक और बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया और दावेदारों को मुआवजा देने के अपने दायित्व से प्रत्याख्यान किया। दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन ट्रैक्स के मालिक और चालक ने यह अभिवचन किया कि दावा याचिका जीप के चालक, मालिक और

बीमाकर्ता को पक्षकार न बनाने के त्रुटि से ग्रस्त थी। दूसरी ओर, ट्रैक्स के बीमाकर्ता ने यह अभिवचन किया कि ट्रैक्स के चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी और ट्रैक्स को पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था।

4. दावेदारों ने अपने दावे के समर्थन में आ.सा.-शिव कुमार का कथन कराया, जबकि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन ट्रैक्स के मालिक, चालक और बीमाकर्ता ने खंडन के लिए कोई साक्षी पेश नहीं किया।

5. अधिकरण ने, उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, यह माना कि आशाराम की मृत्यु दिनाँक 12.08.2001 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन ट्रैक्स के चालक की लापरवाही और उपेक्षापूर्ण वाहन-चालन के कारण हुई थी; चूँकि दुर्घटना की तारीख पर ट्रैक्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अधिकरण ने मृतक की आय के बारे में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को विश्वसनीय नहीं पाया , और इसलिए उसकी आय ₹1,000/- प्रति माह निर्धारित की। मृतक आशाराम के व्यक्तिगत खर्चों के रूप में ₹1,000/- की आय का 1/3 हिस्सा घटाकर, दावेदारों की निर्भरता ₹667/- प्रति माह और ₹8,124/- प्रति वर्ष निर्धारित की गई। ₹8,124/- की वार्षिक निर्भरता को 10 के गुणक से गुणा करके, मुआवजे की राशि ₹81,240/- निकाली गई। अन्य अनुज्ञेय मदों के तहत ₹10,000/- की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, अधिकरण ने आशाराम की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए दावेदारों को कुल ₹91,240/- की राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की। अधिकरण ने ₹91,240/- की उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी प्रदान किया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री आर.एस. पटेल ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मं जू देवी और अन्य बनाम मुसाफिर पासवान और अन्य (2005 ACJ 99)** के मामले में दिये गये निर्णय पर अवलंबन लेते हुए, यह निवेदन किया कि मृतक आशाराम की मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए दावेदारों को कम से कम ₹2,25,000/- का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

8. उतरवादी क्रमांक 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री श्री कुमार अग्रवाल ने, दूसरी ओर, अ धिनिर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि अधिकरण द्वारा दी गई ₹91,240/-

की मुआवजे की राशि मामले में न्यायोचित और उचित है, क्योंकि अपीलार्थी मृतक की उस आय को स्थापित नहीं कर सकें हैं जो उन्होंने अभिवचित किया था।

9. अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि मृतक आशाराम की मृत्यु दिनाँक 12.08.2001 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन ट्रैक्स के चालक की लापरवाही और उपेक्षापूर्ण ड्राइविंग के कारण हुई थी ; और दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन ट्रैक्स का बीमाकर्ता दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था, अब अंतिम हो चुके हैं क्योंकि उतरवादियों ने अधिनिर्णय के खिलाफ कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तथ्यों को बिना किसी संदेह के स्थापित करने के लिए अभिलेख पर प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। इसलिए, हम उस संबंध में अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

10. अब, हम इस बात की जाँच करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा दी गई ₹91,240/- की मुआवजे की राशि, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित मुआवजा है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सर्वोच्च न्यायालय ने **मंजू देवी और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में, दावेदारों को देय मुआवजे का आकलन करते हुए, कंडिका 1 से 4 में निम्नानुसार मतभिव्यक्ति की है :

"इस मामले में दिनाँक 2.7.1998 को एक दुर्घटना में 13 साल के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (M.A.C.T.) ने माना था कि दुर्घटना ट्रक के चालक द्वारा उतावलेपन और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के परिणामस्वरूप हुई थी। अधिकरण ने, मुआवजा देते हुए, ₹90,000/- की राशि तय की थी, इस आधार पर कि उसने उस राशि को न्यायोचित, उचित और युक्तियुक्त माना था। उच्च न्यायालय ने अपील को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था।

2. यू.पी. स्टेट रोड ट्रांस. कॉर्पोरेशन बनाम त्रिलोक चंद्र, 1996 ACJ 831 (SC) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इस आधार पर गुणक पद्धति से विचलन नहीं किया जाना चाहिए कि दिया जा रहा भुगतान न्यायोचित मुआवजा है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गुणक पद्धति को न्यायोचित मुआवजे के निर्धारण और भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वीकृत पद्धति के रूप में अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह वह पद्धति है जो पूरे देश में दिए

गए अधिनिर्णयों में एकरूपता और निश्चितता लाती है।इस नज़ीर के आलोक में, यह मानना होगा कि मुआवजे का अधिनिर्णय गुणक पद्धति से किया जाना था।

3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की द्वितीय अनुसूची में दिए गए अनुसार, 13 वर्ष की आयु के एक लड़के के लिए, 15 का गुणक लागू किया जाना चाहिए। द्वितीय अनुसूची के अनुसार, क्योंकि वह एक उपार्जक व्यक्ति नही है, ₹15,000/- की राशि को आय के रूप में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, मुआवजा ₹2,25,000/- होता है।

4. हम तदनुसार अधिनिर्णय को ₹2,25,000/- की राशि में संशोधित करते हैं, साथ ही यथा-अधिनिर्णित ब्याज भी इसमें शामिल होगा। तदनुसार, अपील का निराकरण किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

12. वर्तमान प्रकरण पर लौटते हुए, अधिकरण ने पाया कि मृतक आशाराम, जो अपीलार्थी क्रमांक 1 और 2 का पुत्र तथा अपीलार्थी क्रमांक 3 से 6 का भाई था, की मृत्यु दिनाँक 12 .08.2001 को हुई मोटर दुर्घटना में हुई थी। यद्यपि दावेदारों ने यह अभिवचन किया था कि मृतक आशाराम बढ़ई के रूप में ₹100–125/- प्रतिदिन कमाता था, इस संबंध में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य निर्णायक प्रकृति का नहीं था। फिर भी, यह तथ्य बना रहता है कि मृतक आशाराम, जिसकी दुर्घटना के समय उम्र लगभग 16 वर्ष थी, की मृत्यु मोटर दुर्घटना में हुई, जो दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन ट्रैक्स के चालक की लापरवाही और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के कारण हुई थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मृतक आशाराम की उम्र लगभग 16 वर्ष थी, हमारा मत है कि अपीलार्थी भी ₹2,25,000/- का मुआवजा पाने के हकदार हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त उद्धृत निर्णय **मंजू देवी और अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में प्रदान किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इन उपर्युक्त कारणों से, अधिनियम की धारा 173 के तहत दावेदारों द्वारा मुआवजे में वृद्धि के लिए प्रस्तुत की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अधिकरण द्वारा दिया गया ₹91,240/- का मुआवजा बढ़ाकर ₹2,25,000/- किया जाता है। अपीलार्थीगण ₹1,33,760/- की बढ़ी हुई मुआवजे की राशि पर दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने के भी हकदार हैं।

14. उतरवादी क्रमांक 3 - बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 2 महीने की अवधि के भीतर संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष ₹1,33,760/- की बढ़ी हुई मुआवजे की राशि और उक्त मुआवजे पर ब्याज की राशि जमा करे।

15. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित
राजीव गुप्ता	सुनील कुमार सिन्हा
मुख्य न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Malay Jain